''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 मार्च 2006—चैत्र 9, शक 1928

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-2/15-2/04.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (1) सह पठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

नियमों की अनुसूची (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाय, अर्थात् :—

अनुसूची (क)

[नियम 50-क का उपनियम (1) देखिए]

अ. क्र. (1)	सोसाइटी का वर्ग (2)	सोसाइटी का प्रकार (3)	संपरीक्षा शुल्क उद्ग्रहण का आधार (4)	संपरीक्षा शुल्क की दर प्रति सौ (5)	शाखा संपरीक्षा शुल्क प्रति शाखा (6)
1.	उपभोक्ता सोसाइटी	केन्द्रीय	कुल विक्रय		रु. 150.00
			1. अनियंत्रित वस्तुएं	50 पैसे	
			2. नियंत्रित वस्तुएं	30 पैसे	
		शीर्ष -	-तदैव-	-तदैव-	रु. 500.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	कृषि सोसाइटी	केन्द्रीय	(क) कामकाज पूंजी संबंधी कारबार हेतु. (ख) सकल लाभ असाख संबंधी कारवार हेतु.	20 पैसे रु. 10.00	रु. 150.00
		शीर्ष	-तदैव-	-तदैव-	रु. 500.00
3.	गृह निर्माण सोसाइटी	केन्द्रीय	कुल व्यवसाय (टोटल टर्न ओव्हर)	10 पैसे	-
		शीर्ष	-तदैव-	-तदैव-	रु. 1000.00
4.	विपणन सोसाइटी	केन्द्रीय	कुल विक्रय	10 पैसे	रु. 250.00
		शीर्ष	-तदैव-	5 पैसे	रु. 500.00
5.	उत्पादन सोसाइटी	केन्द्रीय	(क) कुल व्यवसाय (टोटल टर्न ओव्हर) दुग्ध तथा तिलहन सोसाइटियों को छोड़कर, समस्त उत्पादक सोसाइटियां, जिनमें बुनकर सोसाइटियां सम्मिलित हैं.	10 पैसे	-
		शीर्ष	-तदैव-	-तदैव-	रु. 500.00
		केन्द्रीय	(ख) कुल विक्रय समस्त दुग्ध एवं तिलहन सोसाइटियां	30 पैसे	रु. 500.00
		शीर्ष	-तदैव-	-तदैव-	रु. 750.00
6.	प्रसंस्करण सोसाइटी (प्रोसेसिंग सोसाइटी)	केन्द्रीय	प्रसंस्कृत माल के मूल्य पर	10 पैसे	-
		शीर्ष	-तदैव-	-तदैव-	रु. 750.00
7.	संसाधन सोसाइटी	केन्द्रीय	कामकाज पूंजी		
		(एक) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/जिला सह-कारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक.	-तदैव-	10 पैसे	रु. 500.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(दो) अन्य केन्द्रीय	-तदैव-	15 पैसे	रु. 500.00
		शीर्ष	-तदैव-	5 पैसे	रु. 1500.00
8.	साधारण सोसाइटी	केन्द्रीय	(क) कुल व्यय 1. सहकारी संघ 2. अन्त्यावसायी	10 पैसे	-
		शीर्ष	-तदैव-	-तदैव-	रु. 500.00
		केन्द्रीय	(ख) कुल व्यवसाय (टोटल टर्न ओव्हर) 1. परिवहन सोसाइटियां	10 पैसे	-
		शीर्ष	-तदैव-	-तदैव-	रु. 500.00
			(ग) उन्नत जीवन स्तर सोसाइटियों के मामले में संपरीक्षा फीस की सामान्य दर रुपये 50.00 होगी.	-	-

टिप्पणी :—

1. इस अनुसूची के अधीन किसी सोसाइटी से प्रभार्य संपरीक्षा फीस, छ.ग. को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा किये गये वर्गीकरण के अनुसार होगी.

2. परिसमापन के अधीन किसी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए वसूल की गई अस्तियों पर रुपये 2.00 प्रतिशत की दर से फीस प्रभारित की जायेगी.

3. यदि कोई सोसाइटी बहु प्रयोजन स्वरूप का कारबार करती है तो विभिन्न कारबारों के लिए संपरीक्षा फ़ीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जावेगी :—

    1. उपभोक्ता कारबार के लिए उपभोक्ता सोसाइटियों की दरों के अनुसार
    2. साख संबंधी कारबार के लिए दिये गये कुल उधारों पर 20 पैसे प्रतिशत
    3. असाख संबंधी कारबार के लिए सकल लाभ पर रुपये 10.00 प्रतिशत

4. यदि कोई सोसाइटी प्रेषण (कन्साइनमेंट)/अभिकर्त्ता (एजेंट) आधार पर कारबार करती है तो ऐसे कारबार से प्राप्त कुल कमीशन पर रुपये 5.00 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त संपरीक्षा फीस प्रभारित की जायेगी.

5. किसी भी सोसाइटी में किसी प्रसंस्करण इकाई के स्थापित किये जाने के दौरान किंतु जिसने उत्पादन प्रारंभ न किया हो, कुल निर्माण/स्थापना व्यय पर 10 पैसे प्रतिशत की दर से संपरीक्षा फीस प्रभारित की जायेगी.

6. प्रसंस्करण इकाईयों वाली सोसाइटियों पर रुपये 500.00 प्रति इकाई की दर से अतिरिक्त संपरीक्षा फीस प्रभारित की जायेगी.

7. किसी सोसाइटी की क्षेत्रीय/संभागीय/संचालनालयीन/शाखाओं/विक्रय केंद्रों को संपरीक्षा फीस के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए पृथक शाखा के रूप में माना जायेगा.

8. "कामकाज पूंजी" से अभिप्रेत है, लेनदेन पत्रक (बैलेंस शीट) में दायित्व की ओर दर्शाई गई समस्त मदों का योग, जिनमें संचित तथा वर्ष का लाभ यदि कोई हो तथा साथ ही, शाखा समायोजन के अंतर की रकम, जैसी भी दशा हो सम्मिलित है, किन्तु प्रातिक (कान्ट्रा) मदें तथा संचित हानि की रकम सम्मिलित नहीं है.

9. "कुल व्यवसाय" (टोटल टर्न ओव्हर) से अभिप्रेत है, बैंकों में जमा की गई तथा आहरित की गई रकमों की ओर यथास्थिति प्रारंभिक या अंतिम नकद अतिशेष को भी अपवर्जित करने के पश्चात् वर्ष की कुल प्राप्तियां या संवितरण इनमें से जो भी अधिक हो.

10. केन्द्रीय सहकारी बैंक उससे संबद्ध सोसाइटी की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा फीस का भुगतान करेगी और वह फीस की उस रकम की प्रतिपूर्ति संबंधित सोसाइटी से कर सकेगा.

11. इस संशोधन से प्रभावित होने वाली सोसाइटियों पर संपरीक्षा फीस की संशोधित दरें सहकारी लेखा वर्ष 2004-05 और उसके आगे के वर्ष की संपरीक्षा के लिए लागू होगी.

अनुसूची (ख)

[नियम 50 क का उप नियम (1) देखिए]

अ.क्र.	सोसाइटी का वर्गीकरण	सोसाइटी का प्रकार	संपरीक्षा फीस के उद्ग्रहण का आधार	संपरीक्षा फीस की दरें प्रति 100 रु.	उद्ग्रहित की जाने वाली संपरीक्षा फीस की सीमा		संपरीक्षा की दर प्रति शाखा
					न्यूनतम रु.	अधिकतम रु.	रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उपभोक्ता सोसाइटी (एक) सहकारी भंडार, केंटीन एवं भोजनालय.	प्राथमिक	कुल विक्रय (क) अनियंत्रित (ख) नियंत्रित/प्रेषण वस्तु-लेखा.	20 पैसे 05 पैसे	100	5000	50
	(दो) प्राथमिक उपभोक्ता सोसाइटी (जिसका कार्य क्षेत्र जिला/संभाग/राज्य से अधिक हो)		कुल विक्रय (क) अनियंत्रित (ख) नियंत्रित/प्रेषण वस्तु-लेखा.	20 पैसे 05 पैसे	250	10000	150
	(तीन) ग्रामीण विद्युत सोसाइटी		कुल विक्रय	20 पैसे	150	7500	50
2.	कृषि कर्म सोसाइटी, संयुक्त कृषि, सामूहिक कृषि किराया कृषि, उत्तम कृषि, सिंचाई तथा फसल संरक्षण सोसाइटी.	प्राथमिक	कामकाज पूंजी	15 पैसे	25	1500	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	गृह निर्माण सोसाइटी	प्राथमिक	कामकाज पूंजी	15 पैसे	100	2500	-
4.	विपणन सोसाइटी.	प्राथमिक	कुल विक्रय				
	(एक) विपणन सोसाइटी		(क) अनियंत्रित	05 पैसे	-	-	150
			(ख) नियंत्रित/प्रेषण वस्तु-लेखा	05 पैसे			
	(दो) विपणन एवं प्रक्रिया सोसाइटी.		कुल विक्रय		150	15000	150
			(क) अनियंत्रित	20 पैसे			
			(ख) नियंत्रित/प्रेषण वस्तु-लेखा	05 पैसे			
5.	उत्पादक सोसाइटी	प्राथमिक	कुल विक्रय				
	(एक) वन श्रमिक, श्रमिक संविदा, मत्स्य पालन, पशु-पालन, मुर्गीपालन सोसाइटी.		(क) अनियंत्रित	20 पैसे	25	1500	-
			(ख) नियंत्रित/प्रेषण वस्तु-लेखा	05 पैसे			
	(दो) बुनकर सोसाइटी (खादी हाथकरघा एवं शक्ति करघा).		-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	2500	-
	(तीन) दुग्ध उत्पादक सोसाइटी		-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-
	(चार) तिलहन उत्पादक सोसाइटी		-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-
6.	प्रसंस्करण सोसाइटी	प्राथमिक	कुल विक्रय				
	(एक) प्रसंस्करण सोसाइटी (कृषि उत्पादन)		(क) अनियंत्रित	20 पैसे	150	15000	150
			(ख) नियंत्रित/प्रेषण वस्तु-लेखा	05 पैसे			
	(दो) प्रसंस्करण सोसाइटी (अकृषि उत्पादन)		कुल विक्रय				
			(क) अनियंत्रित	20 पैसे	100	10000	-
			(ख) नियंत्रित/प्रेषण वस्तु-लेखा	05 पैसे			
	(तीन) औद्योगिक सोसाइटी		-तदैव-	-तदैव-	25	2500	-
7.	संसाधन सोसाइटी	प्राथमिक	कामकाज पूंजी				
	(एक) कृषि साख सोसाइटी		-तदैव-	05 पैसे	-	-	50
	(दो) अकृषि साख सोसाइटी		-तदैव-	15 पैसे	100	10000	100
	(तीन) नागरिक बैंक (अर्बन बैंक)		-तदैव-	-तदैव-	250	100000	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	साधारण सोसाइटी	प्राथमिक	नियत दर	50	50	50	
	(एक) उन्नत जीवन स्तर सोसाइटी.		-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	
	(दो) श्रमिक सोसाइटी		-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	
	(तीन) शिक्षित बेरोजगार सहकारी सोसाइटी.		-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	
	(चार) परिवहन सोसाइटी		कुल विक्रय (प्रदत्त सेवाओं से सकल आय)	20 पैसे	25	10000	
	(पांच) कृषि संरक्षण एग्रो (एग्रो एवियेशन) सोसाइटी.		-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	2500	
	(छः) मुद्रणालय/मुद्रक/ प्रकाशक, सोसाइटी		-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	2500	

टिप्पणी :—

1. इस अनुसूची के अधीन किसी सोसाइटी पर संपरीक्षा फीस, छ.ग. को-ऑपरेटिव्ह सोसाइटीज एक्ट, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी द्वारा समय-समय पर किये गए वर्गीकरण के अनुसार उद्ग्रहीत की जाएगी.

2. परिसमापन के अधीन किसी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए संपरीक्षा फीस प्राप्त अस्तियों पर दो प्रतिशत की दर से वसूल की जायेगी.

3. (क) बहुउद्देशीय सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत सोसाइटी पर उसके व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए संपरीक्षा फीस निम्नानुसार प्रभारित की जाएगी :—

   1. साख संबंधी कारबार (क्रेडिट बिजनिस) के लिए दिए गए कुल उधारों पर 0.15 प्रतिशत की दर से.

   2. असाख संबंधी कारबार (नान क्रेडिट बिजनिस) के लिए कुल विक्रयों पर "उपभोक्ता सोसाइटी" शीर्ष के अधीन विहित दरों के अनुसार.

   (ख) बहुउद्देशीय सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी पर संपरीक्षा फीस निम्नलिखित दरों में से किसी एक दर से प्रभारित की जाएगी, अर्थात् :—

   1. साख संबंधी कारबार (क्रेडिट बिजनिस) के लिए दिए गए कुल उधारों पर 0.15 प्रतिशत से.

   2. असाख संबंधी कारबार (नान क्रेडिट बिजनिस) के लिए कुल विक्रयों पर "उपभोक्ता सोसाइटी" शीर्ष के अधीन विहित दरों के अनुसार. परंतु बहुउद्देशीय सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी द्वारा उसके मुख्य कारबार के लिए संपरीक्षा फीस उन दरों पर देय होगी जो अनुसूची के अधीन विहित की गई है.

4. यदि कोई सोसाइटी अभिकरण का कारबार हाथ में लेती है तो ऐसे कारबार से अर्जित किये गये कुल कमीशन का पांच प्रतिशत की दर से संपरीक्षा फीस प्रभारित की जायेगी.

5. संयंत्र स्थापित किये जाने पर/भवन आदि के सनिर्माण पर, चाहे सोसाइटी ने उत्पादन प्रारंभ किया हो या नहीं/उसका उपयोग किया हो या नहीं, स्थापना की ऐसी लागत/सनिर्माण के ऐसे व्यय पर 0.10 प्रतिशत की दर से संपरीक्षा फीस उद्ग्रहीत की जायेगी.

6. कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण करने वाली सोसायटी पर उपभोक्ता सोसायटी शीर्ष के अधीन कुल विक्रय पर प्रभारित की जाने वाली संपरीक्षा फीस के अतिरिक्त 0.10 प्रतिशत की दर से संपरीक्षा फीस प्रसंस्कृत माल के विक्रय पर प्रभारित की जाएगी.

7. प्रसंस्करण इकाई रखने वाली सोसायटी पर प्रति इकाई 500 रुपये की दर से अतिरिक्त संपरीक्षा फीस प्रभारित की जायेगी.

8. किसी सोसायटी के क्षेत्रीय/संभागीय/संचालनालय/स्थानीय शाखाओं/विक्रय डिपों की अतिरिक्त संपरीक्षा फीस के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए सोसायटी की एक पृथक शाखा के रूप में माना जायेगा.

9. संपरीक्षा फीस निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जायेगी.

10. केन्द्रीय सहकारी बैंक उससे संबद्ध सोसायटी की संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा फीस का भुगतान करेगी और वह उस फीस को सदस्य सोसायटी से वसूल करने की हकदार होगी.

11. कामकाज पूंजी से अभिप्रेत है तुलन-पत्र (बैलेन्स-शीट) में दायित्व की ओर दर्शायी गई समस्त मदों का योग जिसमें संचित तथा वर्ष का लाभ यदि कोई हो, और शाखा समायोजन का अन्तर, जैसी भी कि दशा हो, सम्मिलित है, किन्तु उसमें प्रति (कान्ट्रा) मदें तथा संचित हानि सम्मिलित नहीं है.

12. इस संशोधन से प्रभावित होने वाली सोसाइटियों पर संपरीक्षा फीस की संशोधित दरें सहकारी लेखा वर्ष 2004-05 और उसके आगे के वर्ष की संपरीक्षा के लिए लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. दलेई, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक एफ 12-2/15-2/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-2/15-2/04 दिनांक 28 मार्च, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. दलेई, सचिव.

Raipur, the 28th March 2006

NOTIFICATION

No. F 12-2/15-2/04.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 read with section 95 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the state government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules 1962, namely :—

AMENDMENT

In the schedule of the said rules,—

For the schedule (A) and (B) of the rules, the following schedules shall be substituted namely :—

SCHEDULE (A)
[See sub-rule (1) of rule 50 A]

S. No.	Class of Society	Type of Society	Base of Audit Fee Levy	Rate of Audit Fee per hundred	Branch audit fee per branch Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Consumer Society	Central	Total Sales 1. Non controlled commodities 2. Controlled commodities	 50 paise 30 paise	150
		Apex	Do	Do	500
2.	Agricultural Society	Central	(A) Working capital for credit business. (B) Gross profit for non-credit business.	20 paise Rs. 10	150
		Apex	Do	Do	500
3.	Housing Society	Central	Total turnover	10 paise	-
		Apex	Do	Do	1000
4.	Marketing Society	Central	Total Sales	10 paise	250
		Apex	Do	05 paise	500
5.	Producers Society	Central	(A) Total turnover All Producers Societies including Weavers Societies except Milk and Tilhan Societies.	10 paise	-
		Apex	Do	Do	500
		Central	(B) Total sales All Milk & Tilhan Societies.	30 paise	500
		Apex	Do	Do	750

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Processing Society	Central	On value of Processed goods.	10 paise	-
		Apex	Do	Do	750
7.	Resource Society	Central	Working Capital		
		(One) The District Central Co-operative Bank/District Agricultural and rural development Bank.	Do	10 paise	500
		(Two) Other Central.	Do	15 paise	500
		Apex	Do	05 paise	1500
8:	General Society	Central	(A) Total expenditure 1. Co-op : Unions 2. Antyavasayi	10 paise	-
		Apex	Do	Do	500
		Central	(B) Total trunover 1. Transport Societies	10 paise	-
		Apex	Do	Do	500
			(C) In case of better living societies, the audit fee shall be at the flat rate of Rs. 50.	-	-

Note :—

1. Audit fee chargeable from a Society under this Schedule, shall in accordance with the classification made by the Registrar under section 10 of the C. G. Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

2. The fee for auditing the Account of a Society under liquidation shall be charged at Rs. 2 percent on assets realised.

3. If a society doing Multipurpose type of business then audit fee shall be charged for various business as under :—

   1. For Consumer Business-As per the rates of consumer societies.

   2. For credit business-on total Loans advanced 20 paise per cent.

   3. For non-credit Business-On gross profit Rs. 10 per cent.

4. If a society doing business on consignment/Agent basis, then additional audit fee shall be charged at Rs. 5 per cent on total commission earned from such business.

5. In any of the society, during the course of a processing unit is established, but not started Production : audit fee shall be charged at the rate of 10 paise percent on the total construction/Establishment expenditure.

6. An additional audit fee shall be charged on the societies having processing unit at the rate of Rs. 500 per unit.

7. Regional/Divisional/Directorate/Branches/Sale Depots of any society will be treated as a separate Branch of the purpose of levey of audit fee.

8. "Working capital" means the total of all items appearing on the liability side of the balance-sheet including accumulated and years' profit if any, as well as the amount of the difference of branch adjustment, as the case may be, but excluding contra items and the amount of accumulated loss.

9. "Turn-over" would mean total receipt or disbursement of the year, whichever is higher, after excluding the deposits in and withdrawals from banks and also opening or closing cash balances, as the case may be.

10. The Central Co-operative bank shall pay the audit fees for the audit of the society affiliated to it and it may reimburse the same from the society concerned.

11. By this Amendment, the effect of amended rates to audit fees, on such societies shall be applied for Co-operative Account years 2004-05 and next further account year soon.

SCHEDULE (B)

[See sub-rule (1) of rule 50 A]

S. No.	Classification of Society	Type of Society	Base of levy of audit fees	Rate of Audit fees per Rs. 100	Limit of audit fees to be levied. Mini. Rs.	Max. Rs.	Rate of Audit fees per branch Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Consumer-Society (i) Co-operative Store Canteen & Mess.	Primary	Total Sales (a) Non-Controlled. (b) Controlled/ Consignment Account.	 20 Ps. 05 Ps.	100	5000	50
	(ii) Primary Consumer Society whose are of operation is more than a Distt./Division/ State.		Total Sales (a) Non-Controlled. (b) Controlled/ Consignment Account.	- 20 Ps. 05 Ps.	250	10000	150
	(iii) Rural Electric Society		Total sales	20 Ps.	150	7500	50
2.	Farming Society Joint farming, Collective Farming, Tenant Farming, better Farming Irrigation and Crop Protection Society.	Primary	Working Capital	15 Ps.	25	1500	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Housing Society.	Primary	Working Capital	15 Ps.	100	2500	-
4.	Marketing Society (i) Marketing Society	Primary	Total Sales (a) Non-Controlled articles. (b) Controlled Articles/ Consignment Account.	 05 Ps. 05 Ps.	-	-	150
	(ii) Marketing & Processing Society.		Total Sales (a) Non-Controlled articles. (b) Controlled Articles/ Consignment Account.	 20 05	150	15000	150
5.	Producer' Society (i) Forest Labour, Labour Contract, Fisheries, Cattle breeding and poultry Farming Society.	Primary	Total Sales (a) Non-Controlles. (b) Conttolled Articles/ Consignment Account.	 20 Ps. 05 Ps.	25	1500	-
	(ii) Weavers Society (Khadi, Handlooms and Powerlooms)		Do	Do	Do	2500	-
	(iii) Milk Producer's Society.		Do	Do	Do	Do	-
	(iv) Oilseed (Tilhan) Producers Society.		Do	Do	Do	Do	-
6.	Processing Society (i) Processing Society (Agricultural Produce).	Primary	Total Sales (a) Non-Controlles. (b) Controlled Articles/ Consignment Account.	 20 Ps. 05 Ps.	150	15000	150
	(ii) Processing Society (Non Agricultural Produce.)		(a) Non-Controlles. (b) Controlled Articles/ Consignment Account.	20 Ps. 05 Ps.	100	10000	-
	(iii) Industrial Society.		Do	Do	25	2500	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Resource Societies (i) Agricultural Credit Society.	Primary	Working Capital Do	05 Ps.	-	-	50
	(ii) Non-Agricultural Credit Society.		Do	15 Ps.	100	10000	100
	(iii) Nagrik Bank (Urban banks).		Do	Do.	250	100000	150
8.	General Society (i) Better Living Society.	Primay	Fixed Rate Do	50 Do	50 Do	50 Do.	- -
	(ii) Labour Society		Do	Do	Do	Do.	-
	(iii) Educated Unemployed Co-operative Society.		Do	Do	Do	Do.	-
	(iv) Transport Society		Total Sales (Gross Income from Services Rendered).	20 Ps.	25	10000	-
	(v) Agro-Aviation Society.		Do.	Do	Do	2500	-
	(iv) Press/Printers/ Publishers Society.		Do	Do.	Do	2500	-

Note :—

1. Under this Schedule, the audit fees shall be levied on a society as per its classification. Under section 10 of the C.G. Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) by the Registrar Co-operative Societies from time to time.

2. Audit fees for auditing the accounts of a society under liquidation shall be recovered at the rate of two per cent on assets realised.

3. (A) A society classified as multi purpose society will be charged audit fee its trading activities as under :—

 (i) For credit business-On total loans advanced at the rate of 0.15 per cent.

 (ii) For non-credit business-On total sales at the rates prescribed under the head of "Consumer Society."

 (B) A society other than multipurpose society shall be charged audit fee at one of the following rates :—

 (i) For credit business-On total loans advanced at the rate of 0.15 per cent.

 (ii) For non-credit business-On total Sales as per rates prescribed under the head of "Consumer Society."

 Provided that the audit fee shall be payable by a Society other than multipurpose Society for its Principal business at the rates prescribed under the Schedule.

4. If a society undertakes agency business, audit fees shall be charged at the rate of five per cent. On total commission earned on such business.

5. On establishment on a plant/construction of building etc., whether the society has commenced production/utilised if or not, on such cost of establishment/construction expenditure audit fees at the rate of 0.10 percent shall be levied expenditure.

6. A Society enganged in processing of agricultural produce shall be charged audit fees at the rate of 0.10 per cent. On the sales of processed goods in addition to audit fees to be charged under the head of consumer society on total sales.

7. A society having processing unit. Shall be charged additional audit fee at the rate of Rs. 500 per unit.

8. Regional/Divisional/Directorate/Local branches/Sales Depots of any society. Will be treated as a separate branch of the society for the purpose of levy of additional audit fees.

9. Audit fees shall be rounded off to the nearest Rupee.

10. The Central Co-operative Bank shall pay audit fees. For the audit of the society affillated to it, and it shall be entitled to recover the same from the member society.

11. Working Capital means the total of all items of the liability side shown in the balance-sheet including accumulated and year's profit, if any, and the difference of branch adjustment, as the case may be, but excluding the contra items and accumulated losses.

12. By this Amendment, the effect of amended rates to audit fees, on such societies shall be applied for Co-operative Account years 2004-05 and next further account year soon.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. DALEI, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.